

# थ उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

बनाम

मु. सं.

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

11.24

आप पत्रावली पेश हुई वकील उक्त  
पक्ष उपस्थित। प्रार्थीगण का वरद डिक्री किया  
जा चुका है। इसलिए प्रार्थीगण का प्र.पत्र  
अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभावहीन हो चुका है।

अतः प्रार्थीगण का प्र.पत्र अस्थाई  
निषेधाज्ञा प्रभावहीन हो जाने के कारण  
स्वातंत्र्य किया जाता है। प्रार्थीगण के पक्ष  
में जारी अंतिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक  
07.01.2024 को निरस्त किया जाता है।  
पत्रावली फौजल शुगर डेकल मूल कर रनलगा  
रही।

आदेश सुनाया गया

  
उपखण्ड अधिकारी  
महवा जिला दौसा